रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-एम.एच.-अ.-16032022-234253 CG-MH-E-16032022-234253

> असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 138] No. 138]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 16, 2022/फाल्गुन 25, 1943

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 16, 2022/PHALGUNA 25, 1943

# भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड

### अधिसूचना

मुंबई, 16 मार्च, 2022

## भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

# [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022

- सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/75.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (खक) एवं खंड (ग) तथा धारा 12 की उप-धारा (1) एवं उप-धारा (1ख) के साथ पठित धारा 30 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थातु,-
  - 1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022 कहा जा सकेगा।
  - 2. ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।
  - 3. भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012 में,-
    - I. विनियम 15 के उप-विनियम (1) के खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-
      - "(घ) प्रवर्ग-III की आनुकल्पिक निवेश निधियाँ किसी एक इन्वेस्टी कंपनी में, प्रत्यक्ष रूप से या अन्य आनुकल्पिक निवेश निधियों की यूनिटों में निवेश करके, निवेशयोग्य निधियों (इन्वेस्टेबल फंड) के दस प्रतिशत से अधिक का निवेश नहीं करेंगी, और प्रवर्ग-III की आनुकल्पिक निवेश निधियों के "अक्रेडिटिड

1823 GI/2022 (1)

निवेशकों के लिए अत्यधिक निवेश करने हेतु बनाए गए फंड" (लार्ज वैल्यू फंड) किसी एक इन्वेस्टी कंपनी में, प्रत्यक्ष रूप से या अन्य आनुकल्पिक निवेश निधियों की यूनिटों में निवेश करके, निवेशयोग्य निधियों (इन्वेस्टेबल फंड) के बीस प्रतिशत तक का निवेश कर सकेंगे:

परंतु यह कि, बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गई शर्तों के अध्यधीन, किसी एक इन्वेस्टी कंपनी की सूचीबद्ध (लिस्टिड) इक्किटी में निवेश करने के लिए, प्रवर्ग-III की आनुकल्पिक निवेश निधियाँ निवेश सीमा की गणना या तो स्कीम की निवेशयोग्य निधियों (इन्वेस्टेबल फंड) के दस प्रतिशत या फिर स्कीम के शुद्ध आस्ति मूल्य (नेट असेट वैल्यू) के दस प्रतिशत के आधार पर कर सकेंगी, और प्रवर्ग-III की आनुकल्पिक निवेश निधियों के "अक्रेडिटिड निवेशकों के लिए अत्यधिक निवेश करने हेतु बनाए गए फंड" (लार्ज वैल्यू फंड) निवेश सीमा की गणना या तो स्कीम की निवेशयोग्य निधियों (इन्वेस्टेबल फंड) के बीस प्रतिशत या फिर स्कीम के शुद्ध आस्ति मूल्य (नेट असेट वैल्यू) के बीस प्रतिशत के आधार पर कर सकेंगे।"

माधबी पुरी बुच, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./692/2021-22]

#### पाद टिप्पण:

- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2012-13/04/11262, 21 मई 2012 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
- 2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012 तत्पश्चात्, -
  - (1) 16 सितम्बर, 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2013, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2013-14/24/6573, द्वारा
  - (2) 23 मई, 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/03/1089, द्वारा
  - (3) 26 सितम्बर, 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रियल इस्टेट निवेश न्यास) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी./एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/11/1576, द्वारा
  - (4) 14 अगस्त, 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2015, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/011, द्वारा
  - (5) 4 जनवरी, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2016, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/026, द्वारा
  - (6) 6 मार्च, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/037, द्वारा
  - (7) 1 जून, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/19, द्वारा
  - (8) 10 मई, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2019, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/16, द्वारा
  - (9) 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एनआरओ/जीएन/2020/10, द्वारा
  - (10) 19 अक्तूबर, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी./एन.आर.ओ./जी.एन./2020/37, द्वारा
  - (11) 8 जनवरी, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकिल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी./एन.आर.ओ./जी.एन./2021/01, द्वारा
  - (12) 5 मई, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/21, द्वारा

- (13) 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/30, द्वारा
- (14) 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/33, द्वारा
- (15) 13 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/41, द्वारा
- (16) 9 नवम्बर, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/57, द्वारा
- (17) 24 जनवरी, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2022, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/68, द्वारा

संशोधित हुए थे।

# SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA NOTIFICATION

Mumbai, the 16th March, 2022

# SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ALTERNATIVE INVESTMENT FUNDS) (SECOND AMENDMENT) REGULATIONS, 2022

**No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/75.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 30 read with sub-section (1) of Section 11, clause (ba) and clause (c) of sub-section (2) of Section 11 and sub-section (1) and (1B) of Section 12 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012, namely,—

- 1. These Regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Second Amendment) Regulations, 2022.
- 2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 3. In the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012,
  - I. clause (d) of sub-regulation (1) of regulation 15 shall be substituted with the following clause, namely,-

"(d) Category III Alternative Investment Funds shall invest not more than ten per cent of the investable funds in an Investee Company, directly or through investment in units of other Alternative Investment Funds and the large value funds for accredited investors of Category III Alternative Investment Funds may invest up to twenty per cent of the investable funds in an Investee Company, directly or through investment in units of other Alternative Investment Funds:

Provided that for investment in listed equity of an Investee Company, Category III Alternative Investment Funds may calculate the investment limit of ten per cent of either the investable funds or the net asset value of the scheme and large value funds for accredited investors of Category III Alternative Investment Funds may calculate the investment limit of twenty per cent of either the investable funds or the net asset value of the scheme, subject to the conditions specified by the Board from time to time."

MADHABI PURI BUCH, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./692/2021-22]

#### Footnote:

1. The Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012 were published in the Gazette of India on May 21, 2012 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2012-13/04/11262.

- 2. The Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012 were subsequently amended on,
  - (1) 16<sup>th</sup> September, 2013 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2013 vide No. LAD-NRO/GN/2013-14/24/6573.
  - (2) 23<sup>rd</sup> May, 2014 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/03/1089.
  - (3) 26<sup>th</sup> September, 2014 by the Securities and Exchange Board of India (Real Estate Investment Trusts) Regulations, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/11/1576.
  - (4) 14<sup>th</sup> August, 2015 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2015 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/011.
  - (5) 4th January, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2016 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/026.
  - (6) 6<sup>th</sup> March, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/037.
  - (7) 1<sup>st</sup> June, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2018 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2018/19.
  - (8) 10<sup>th</sup> May, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2019 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2019/16.
  - (9) 17<sup>th</sup> April, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.
  - (10) 19<sup>th</sup> October, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2020/37.
  - (11) 8<sup>th</sup> January, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2021/01.
  - (12) 5<sup>th</sup> May, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Second Amendment) Regulations, 2021 vide No SEBI/LAD-NRO/GN/2021/21.
  - (13) 3<sup>rd</sup> August, 2021 by the (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/30.
  - (14) 3<sup>rd</sup> August, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Third Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/33.
  - (15) 13<sup>th</sup> August, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Fourth Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/41
  - (16) 9<sup>th</sup> November, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Fifth Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/57.
  - (17) 24<sup>th</sup> January, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2022 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/68.